

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 179]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 22 मार्च 2018—चैत्र 1, 1940

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 22 मार्च 2018 (चैत्र 1, 1940)

क्र. 7345-वि.स.-विधान-2018.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 231 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार नियम समिति के तृतीय प्रतिवेदन द्वारा नियमावली में किये गये संशोधनों संबंधी अनुशंसाओं को, जो कि दिनांक 8 मार्च, 2018 को विधान सभा पटल पर संशोधन/सुझाव की सूचना देने हेतु रखी गई थीं, तदुपरांत नियम 231 (5) के अधीन इस सचिवालय के पत्रक भाग-दो, क्रमांक-31, दिनांक 15 मार्च, 2018 द्वारा प्रख्यापित की गई थीं एवं जिन्हें मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 163, दिनांक 15 मार्च, 2018 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 6356/वि.स./विधान/2018 द्वारा अधिसूचित किया गया था. अब इन अनुशंसाओं को मान. अध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 21 मार्च, 2018 को सदन में की गई घोषणानुसार, एतद्वारा स्थगित किया जाता है.

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.